कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश क्रमांक KW 1/1–03 प्रशा0 (1) दिनांक, पंचकूला 10-10-17

अधीक्षक संसदीय कार्य, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/6/2009–1सं0 का0 दिनांक 27.09.2017 जो कि हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करने से सम्बन्धित है। निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। निर्देशों की दृढता से पालना की जाएः–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
7. मुख्यालय के सभी स्थापना सम्बंधित शाखाओं के अधिकारी/अधीक्षक।
8. अधीक्षक प्रशासन (मौलिक शिक्षा निदेशालय)।
9. अधीक्षक तालमेल शाखा।
10. निजि सहायक/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
11. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन।
12. पी0ए0/संयुक्त निदेशक प्रशासन–। एवं ।।
13. आई0टी0 सैल (मुख्यालय)।

अधीक्षक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

D:\MONA\JITIN SINGLA\CIRCULAR\SANCTION DOC

432 Admn (G)
10/10/17

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/6/2009–1सं० का०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 27.09.2017

विषय:– हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 23 अक्तूबर, 2017 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घाओं में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें ।

Director General Secondary Education Haryana
Diary No PA/DSE
03 OCT 2017
30622
PANCHKULA

भवदीय,

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक 1/6/2009–1सं० का० दिनांक चण्डीगढ़ 27.09. 2017

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक–एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

D:\MDN\

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

अशा: क्रमांक 1/6/2009–1सं० का० दिनांक चण्डीगढ़ 27.09.2017

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

Order No. KW 1/1-2003 Ad(1) **Dated, Panchkula the** 10-10-17

A copy of letter CMH-2GA-2017/7536 dated 28.09.2017 from Principal Secretary to Chief Minister, Haryana regarding Session of the Haryana Vidhan Sabha is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director Elementary Education Haryana, Panchkula.
2. Director SCERT Haryana, Gurgaon.
3. All DIET's in the State.
4. All District Education Officer's in the State.
5. All District Elementary Education Officer's in the State.
6. All the Headquarter Officers.
7. Registrar Education (Secondary).
8. All the Superintendent (HQ).
9. Superintendent Admn. (Pry.)
10. Superintendent Co-ordinaion Branch.
11. PA/DSE.
12. PA/ Additional Director Admn.
13. PA/Joint Director Admn.I & II.
14. IT Cell (HQ).

SUPERINTENDENT ADMN.
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

10-10-17

D:\MONA\JITIN SINGLA\CIRCULAR\SANCTION.DOC

. TEX Book Cell

3762 Admn
10/10/17

ASSEMBLY BUSINESS
MOST IMMEDIATE
DATE BOUND

Subject: - Session of the Haryana Vidhan Sabha.

JDA-I 6.10.17
10.09.17
S Admn 08.10.17
-4

Will all the Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/ Administrative Secretaries to Govt. Haryana kindly refer to the subject cited above?

2. The Session of the Haryana Vidhan Sabha has been convened on **23th october,** 2017. All the Administrative Secretaries may please ensure that draft replies to questions to be asked in the Vidhan Sabha should reach the Chief Minister's Secretariat, Room No. 75, 4th floor Haryana Civil Secretariat, Chandigarh at least 72 hours before they are due to be replied.

3. The Vidhan Sabha Secretariat will be circulating a list of questions in due course. Efforts should be made to collect information about the questions well in advance.

4. Both the Questions and their replies relating to Hon'ble Chief Minister should be typed out both in English and Hindi neatly on thick white sheets. Notes for Pad should be crisp and succinct. Annexures should give entire relevant information relating to the question. If a similar question has been answered in an earlier session of the Vidhan Sabha, this be reflected in the Note for Pad and relevant details be enclosed.

5. Hon'ble Chief Minister would like to be briefed by the Minister and Administrative Secretary concerned about the listed Questions and other Assembly Business on the previous day or one hour before the start of the session, in his Chamber in the Vidhan Sabha. Exact venue and time for briefing meeting may, however, be ascertained from Secretary to Chief Minister, Haryana. Chief Minister's Secretariat Telephone No. is 2741682 and Vidhan Sabha Secretariat Nos. are 2741525-28.

Directorate of Secondary Education Haryana, PANCHKULA
Diary No 1AIRSE 30929
09 Oct
Cem

6. Special care may be taken in dealing with Adjournment Motions, Calling Attention Notices and Resolutions.

7. Branch Officers may be instructed to supply <u>twelve (12)</u> copies of all papers (Bills, Ordinances, Notifications and Reports etc.) to be laid/re-laid on the Table of the House as also of all replies to the Questions, Calling Attention Notices and Private Resolutions etc. to the Chief Minister's Secretariat through Special Messenger well in time.

8. For updating the Hon'ble Chief Minister regarding activities and achievements of various departments during the year 2017-2018 as also the projects/ programmes for the year 2018-19, the Administrative Departments may furnish brief notes in English and Hindi (both in triplicate). The notes should be

Contd. Page -2-

neatly typed out on thick white sheets and the same be sent to the Superintendent, Chief Minister's Secretariat by 16.10.2017 without fail along with a soft copy. On some previous occasions some Departments had sent these notes in a routine manner. All the Administrative Secretaries are requested to personally ensure that every Note contains relevant and useful information in succinct form and brings out the concrete achievements, thrust areas and policy enunciations in the format of talking points.

Principal Secretary to
Chief Minister, Haryana.

To

All the Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/
Administrative Secretaries to Govt., Haryana.

U.O. No. CMH-2GA-2017/7536 Dated, Chandigarh, the September 28th 2017
Enst.No. CMH-2GA-2017 / 7536 Dated, Chandigarh, the September 28th 2017

A copy is forwarded to all the Heads of Departments for information and necessary action.

Principal Secretary to
Chief Minister, Haryana.

A copy, each, is forwarded to Senior Secretaries/Secretaries/ Private Secretaries to Ministers/ Ministers of State /Chief Parliamentary Secretaries for the information of Ministers/Ministers of State/Chief Parliamentary Secretaries.

Principal Secretary to
Chief Minister, Haryana.

To

The Senior Secretaries/ Secretaries/ Private Secretaries to Ministers/ Ministers of State/Chief Parliamentary Secretaries.

U.O. No. CMH-2GA -2017/7536 Dated, Chandigarh, September 28th 2017

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश क्रमांक KW 1/1-2003 प्रशा0 (1) दिनांक, पंचकूला 10-10-17

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0 दिनांक 26.09.2017 जो कि हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे सम्बन्धित है, निम्नलिखत को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है। आदेशों की दृढता से पालना की जाए।

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
7. अधीक्षक प्रशासन (प्राईमरी)।
8. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
9. निजि सहायक/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
10. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
11. पी0ए0/संयुक्त निदेशक प्रशासन-। एवं ।।
12. आई0टी0 सैल (मुख्यालय)।
13. अधीक्षक तालमेल शाखा।

अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

D:\MONA\JITIN SINGLA\CIRCULAR\SANCTION.DOC

D/Secondary Edu

433 Admn (G)
10/10/17

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009—1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 26.09.2017

विषयः— हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 23 अक्तूबर, 2017 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।

Commissioner & Director General Secondary Education Haryana
Diary No. 1A/DSE
03 OCT 2017
30620
PANCHKULA

भवदीय,

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक—एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशाः क्रमांक 1/9/2009—1सं0 का0 — दिनांक चण्डीगढ़ 26.09.2017

<<<>>>